नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 375.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान अधिकारी (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप निदेशक (परीक्षा सुधार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, उप निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप-निदेशक (परीक्षा सुधार)	6* (छह) (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	हां केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 का फायदा केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय होगा। ऐसे व्यक्तियों को कोई फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और स्वशासी निकायों के अधीन उनकी पूर्व सेवा को पेंशन संबंधी फायदों की गणना करने के लिए अनुज्ञात किया गया है और ऐसे व्यक्तियों को कोई फायदा अनुज्ञेय नहीं होगा जो इन निकायों के अधीन अपनी पूर्व सेवा में, सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा प्राप्त कर चुके हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक 1. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानविकी, विज्ञान या किसी वृत्तिक पाठ्यक्रम की किसी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में बैचलर डिग्री या समतुल्य पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव जिसके अन्तर्गत परीक्षा अभिलेखों और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव भी है। (निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अपेक्षित अनुभव क्षेत्र प्रत्येक अवसर पर भर्ती के समय अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)। टिप्पण : 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : 1 2200-4000 रु. के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी (परीक्षा सुधार) के पदों के ऐसे नियमित धारक, जिनकी 3000-4500 रु. के वेतनमान में उपनिदेशक (परीक्षा सुधार) के उच्चतर पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण आयोग द्वारा पहले से किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। टिप्पण : 2 पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर सचिव और परीक्षा नियंत्रक/अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 39023/1/90 – स्था. (ख)]
विजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th July, 1993

G.S.R. 375.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Union Public Service Commission, Research Officer (Examination Reforms) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Examination Reforms) in the office of the Union Public Service Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Deputy Director (Examination Reforms) Recruitment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Director (Examination Reforms)	6 *(six) (1993) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Not-applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for

6
determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitments
7	8
Yes. The benefit of rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 can be made applicable for direct recruits only. The benefit will not be admissible to those who are allowed to count for pensionary benefits for their previous service under Central/State Governments and autonomous bodies and to those who have received the benefit of added years of service in their previous service under these bodies.	Essential : I. (a) Master's degree or equivalent Post Graduate Diploma in any discipline in Humanities, Science or in a professional courses from a recognised University or equivalent; or (b) Bachelor's degree in any branch of Engineering/Technology from a recognised University or equivalent. II. 5 years' professional experience including experience in examination records and related areas of recruitment exercises. (The exact educational qualifications and areas for experience shall be specified according to the requirement at the time of recruitment on each occasion). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of Candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	One year for direct recruits.	By Direct recruitment Note 1 : The regular holders of the posts of Research Officer (Examination Reforms) in the pay scale of Rs. 2200-4000 whose suitability for appointment to the upgraded post of Deputy Director (Examination Reforms) in the pay scale of Rs. 3000-4500 has already been assessed by the Commission, shall be deemed to have been appointed under these rules. Note 2 : Vacancies caused by the incumbant being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by transfer on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation) 1. Secretary, Union Public Service Commission—Chairman 2. Additional Secretary and Controller of Examinations/Additional Secretary, Union, Public Service Commission—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[No. 39021/1/90-Estt. (B)]

VIJAY KUMAR, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 376.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार)	दो* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।	प्रोन्नति ऐसा उप निदेशक (परीक्षा सुधार), जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों, कानूनी/स्वशासी संगठनों, भर्ती बोर्डों अर्थात् बैंककारी और रेल भर्ती बोर्डों, कर्मचारी चयन आयोग, सेवा चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3000—4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— आवश्यक : (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मानविकी, विज्ञान या किसी वृत्तिक पाठ्यक्रम की किसी विद्या शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य; अथवा

12

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में बैचलर डिग्री या समतुल्य/

(ii) दस वर्ष का वृतिक अनुभव जिसके अन्तर्गत परीक्षा सुधार और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव भी है।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आवश्यक अर्हताओं की मद 1 (क) में निर्दिष्ट किसी विद्याशाखा में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आवश्यक अर्हताओं की मद 1(ख) में निर्दिष्ट किसी शाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(निश्चित शैक्षिक अर्हताएं और अपेक्षित अनुभव क्षेत्र भर्ती के समय अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 3. अपर सचिव और परीक्षा नियंत्रक/अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/संविदा पर चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 39021/1/90-स्था. (ख)]

विजय कुमार, डैस्क अधिकारी

पाद-टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना सा. का. नि. सं. 801 तारीख 27 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 8th July, 1993

G.S.R. 376.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Joint Director, Examination Reforms) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Joint Director (Examination Reforms) Recruitment (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission Joint Director (Examination Reforms) Rules, 1986, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules), 1972
1	2	3	4	5	6
Joint Director (Examination Reforms)	Two* (1993) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of Recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	By promotion failing which by transfer on deputation; (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputations/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotions : Deputy Director (Examination Reforms) with five year's regular service in the grade. Transfer on Deputation (including short term contract) Officers of the Central Government/State Government/Universities/Recognised Training Institutes/Public Sector Undertakings, Statutory/Autonomous Organisations, Recruitment Boards e.g. Banking and Railway Recruitment Boards, Staff Selection Commissions, Services Selection Board and State Public Service Commissions. :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent, and	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Union Public Service Commission—Member 3. Additional Secretary and Controller of Examination/Additional Secretary, Union Public Service Commission—Member	Consultation with the Union Public Servcice Commission necessary while selecting an officer on transfer on deputation/contract."